न्यायालय सहायक कलक्टर जयपुर शहर (द्वितीय), जयपुर

केस संख्या : टि.सं० - 143 / 2024

उनवान:- अनिता देवी बनाम श्रावणलाल मीणा वगैरे.

17/12/24 पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। मूलवाद में तहसीलदार सांगानेर द्वारा प्राप्त कुरेजात स्वीकार कर वाद को निर्णित किया जा चुका है। जब वाद ही निर्णित हो चुका है तो प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को चलाने का कोई औचित्य नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नेबर 6 कम होकर रेकार्ड मूलवाद रहे। निर्णय आज दिनांक 17/12/24 को सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय, जयपुर